न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 160/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. पुरखाराम पुत्र दीपाराम 2. चौखाराम पुत्र दमाराम जाट निवासीगण सियोलों की ढाणी, तहसील गुडामालानी, बाडमेर।		1. धन्नाराम पुत्र चौखाराम 2. अर्जनराम पुत्र चौखाराम 3. भीखाराम पुत्र चौखाराम 4. भीयाराम पुत्र चौखाराम 5. वालाराम पुत्र चौखाराम 6. वरजूदेवी पत्नी अर्जुनराम 7. सजनीदेवी पत्नी भीमाराम 8. अणसी पत्नी पुरखाराम 9. अणसी पत्नी पुरखाराम 10. नारायणराम पुत्र खुमाराम 11. जोगाराम पुत्र खुमाराम 12. नेनूदेवी पत्नी खुमाराम 13. आदूराम पुत्र ताजाराम 14. जेहाराम पुत्र रूखाराम 15. अनाराम पुत्र रूखाराम 16. पुरखाराम पुत्र रूखाराम 17. धुडी पत्नी रूखाराम 18. हनुमानराम पुत्र पूनमाराम 19. अणदाराम पुत्र पूनमाराम 20. उम्मेदाराम पुत्र पूनमाराम 21. पुरखाराम पुत्र पूनमाराम 22. चिमू पत्नी पूनमाराम सभी जातियान जाट निवासी सियोली की ढाणी, तहसील गुडामालानी,बाडमेर 23. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर। प्राफार्मा पक्षकार 24. सिमरथाराम पुत्र भैराराम जाट 25. उमेदाराम पुत्र जगमालराम मेघवाल 26. हीराराम पुत्र मालाराम मेघवाल 27. जीयाराम पुत्र कुंभाराम मेघवाल 28. बालाराम पुत्र किशनाराम मेघवाल 29. मेराजराम पुत्र मूलाराम जाट के का0मु0—— पदमाराम, सुरजाराम, किसनाराम, उम्मेदाराम, नैनू पत्नि मेराजराम जाट 30. पूनमाराम पुत्र मूलाराम जाट 31. दमाराम पुत्र राजूराम जाट 32. चनणाराम पुत्र राजूराम 33. बागाराम पुत्र लूम्भाराम जाट 34. भोमाराम पुत्र नवलाराम जाट 35. किस्तुराराम पुत्र नवलाराम जाट 36. नवलाराम पुत्र दमाराम जाट 37. विरधाराम पुत्र किरताराम जाट 38. अमराराम पुत्र भारूराम जाट

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

		41. चुतरराम पुत्र अनाराम जाट निवासीगण सियोलो की ढाणी, तहसील गुडामालानी बाडमेर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.05.2012 जो राजस्व प्रार्थना पत्र 34/2012 अनवान बगता बनाम सोनाराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी ने पारित किया।

उपस्थितिः—

1— श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2—श्री सुरेश कुमार गौड, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 22 की ओर से।
3— श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 23 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26 दिसम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 22 के द्वारा एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम सियोलो की ढाणी के ख0सं0 485 रकबा 149.17 बीघा, ख0सं0 533 रकबा 06.17 बीघा, ख0सं0 541 रकबा 60.15 बीघा की नेखमबन्दी करवाने हेतु पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश दिनांक 21.5.2012 को पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपरोक्त खसरान संख्या 540 भूमि के अपीलान्टस खातेदार है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 22 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नेखमबन्दी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किये गये कि उनके खेत खसरान की भूमि में विप्रार्थीगण/अपीलान्टस बरसात के दिनों में प्रार्थीगण के खेत के अन्दर घुसकर खेती कर लेते है। इस बाबत रेस्पो0/प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत व तहसीलदार को पक्के नेखम स्थापित करने हेतु कहा लेकिन उनके द्वारा इनकार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा तब उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया अतः खेत की नेखमबन्दी की जावें। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये तथा पत्रावली दिनांक 14.3.12 को रखी गई। उक्त दिनांक के नोटिस विप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के घर पर नहीं मिलने की रिपोर्ट होकर चस्पा करना बताकर वापस न्यायालय को भेजे। उसके बाद पत्रावली दिनांक 21.5.12 को रखी गई और उसी दिन अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करते हुए बिना किसी प्रकार की कोई जॉच किये सीधा नेखमबन्दी करने का दिनांक 19.6.2012 को आदेश उप तहसीलदार सिणधरी को दे दिया। उप तहसीलदार सिणधरी के द्वारा उक्त आदेश की पालना में आज दिन तक मौके पर नेखमबन्दी करने नही आये, तत्पश्चात उक्त ग्राम नवसृजित तहसील धोरीमन्ना हो गयी। नवसृजित तहसील के द्वारा भी नेखमबन्दी करने का नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया। दिनांक 28.2.2022 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पटवारी हल्का गांव में आये तथा अपीलार्थीगण को बताया कि ख0सं0 540 के पडौसी ख0सं0 441 के चारों तरफ नेखमबन्दी करने का दिनांक 21.5.12 को आदेश हो रखा है। तब उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 4.4.2022 को हुई। तब उनके द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावे ।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पक्षकारान के खेतों के मध्य की सीमा को तय किये बिना ही सीधा नेखमबन्दी करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को विधिक रूप से नोटिस तामील नहीं करवाये गये और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है। ऐसे में पारित अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 सं0 1 से 23 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में भी विधिक त्रुटि की है क्योंकि उक्त समस्त कार्यवाही एकपक्षीय रूप से निर्धारित करते हुए की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं मामला धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलार्थीगण को जवाब साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 22 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट. का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम सियोलो की ढाणी के ख0सं0 485 रकबा 149.17 बीघा, ख0सं0 533 रकबा 06.17 बीघा, ख0सं0 541 रकबा 60.15 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पो0 के उपरोक्त खेतों की सेढाओं पर अपीलान्टस के खेत आये हुए है, उक्त खेतो के बीच कोई सीमाचिन्ह अंकित नहीं होने से अपीलान्टस बरसात के दिनों में काश्त के समय सेढा तोडकर उनके खेत में आ जाते है इस कारण उक्त खेतों की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। अतः उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र नेखमबन्दी करवाने हेतु पेश किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश दिनांक 21.5.2012 को पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल एवं उचित पारित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 ता 22 के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस की ओर से इस बाबत सरपंच, ग्राम पंचायत व तहसीलदार महोदय को पक्के नेखम स्थापित करने हेतु कहा लेकिन उनके द्वारा इनकार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा तब उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश ... है ... खेत की पक्की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

को नोटिस जारी किये तथा पत्रावली दिनांक 14.3.12 को रखी गई। उक्त दिनांक के नोटिस विप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के घर पर नहीं मिलने की रिपोर्ट होकर चस्पा करना बताकर वापस न्यायालय को भेजे। जिसके आधार पर उनको सूचना होने पर उपस्थित नहीं होने पर अनुपस्थित मान कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्टस के उक्त खेत खसरान भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया है जो बहाल रखा जावे। अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश जारी होने की जानकारी प्रारम्भ से ही होने के बावजूद उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की गई है। जिस आधार पर भी अपील अस्वीकार योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपील में वर्णित भूमि का पूर्व में सीमांकन/पैमाइश सम्बन्धी कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है, साथ ही सीमा/माठ सम्बन्धी विवाद दर्शित करने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। किसी भी भूमि के पत्थरगढी किये जाने के प्रकरण के उक्त दोनों महत्वपूर्ण आधार है जिनका इस पत्रावली में अभाव पाया गया है। साथ ही हितबद्ध पक्षकारान की विधिवत सुनवाई भी नहीं की गई है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2012 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गुडामालानी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रथमतः टीम गठित कर सेटलमेन्ट के पुख्ता बिन्दुओं से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान/पैमाइश की कार्यवाही की जावें। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी विधिवत अग्रिम कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर